सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 204 / 1021 / 11–12 दिनांकः– 06.12.2016

के मामले में:

श्री रघुबीर शर्मा,
उच्च श्रेणी लिपिक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
सैक्टर–16, फरीदाबाद, हरियाणा । ..... शिकायतकर्ता

बनाम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
द्वारा महानिदेशक,
पंचद्वीप भवन,
सी. आई.जी. मार्ग,
नई दिल्ली–110002 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 21.07.2016, 08.09.2016, 21.10.2016 एव 04.11.2016

उपस्थितः

21.07.2016

1. श्री रघुबीर शर्मा, शिकायतकर्ता ।
2. सर्वश्री रविन्द्र सिंह, उप निदेशक,अशोक कुमार, उपनिदेशक, लवलीन, सहायक, प्रतिवादी की ओर से ।

08.09.2016

1. श्री रघुबीर शर्मा, शिकायतकर्ता ।
2. सर्वश्री रविन्द्र सिंह, उप निदेशक,एवं श्रीलवलीन, सहायक, प्रतिवादी की ओर से ।

21.10.2016

1. श्री रघुबीर शर्मा, शिकायतकर्ता ।
2. सर्वश्री रविन्द्र सिंह, उप निदेशक, महेश कुमार, एस.एस.ओ. एवं श्रीलवलीन, सहायक, प्रतिवादी की ओर से ।

04.11.2016

1. श्री रघुबीर शर्मा, शिकायतकर्ता ।
2. सर्वश्री अशोक कुमार, उप निदेशक, सतीश कु. कत्याल, उप निदेशक एवं श्री लवलीन, सहायक, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जोकि 40 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनको पदोन्नति में नियमानुार आरक्षण

....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

नहीं दिए जाने एवं भेदभाव करने से संबंधित दिनांक रहित तथा दिनांक 140.6.2013 की शिकायतें इस न्यायालय में प्रस्तुत कीं ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दिनांक 04.12.1982 को सेवादार के पद पर मैट्रिक पास नियुक्त हुए थे और क.रा.बी.नि.मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा उन्हें पत्र संख्या ए–28–25–2–83–स्था.–2/223 दिनांक 29.01.1986 द्वारा विकलांग स्वीकार किया गया तथा उन्हें नि:शक्तता भत्ता भी दिया गया । तब से लेकर आज तक उन्हें विकलांग कोटे से पदोन्नति में एक बार भी उनके नाम पर विचार नहीं किया गया है । वर्ष 1993 से 1995 तक पदोन्नति रोस्टर में विकलांग कोटे का प्वाइंट था परन्तु क.रा.बी.नि. क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद के पत्र सं. 13ए. 33/17/1/89–95–प्रशा. दिनांक 20.10.1995 द्वारा उन्हें पदोन्नति तदर्थ आधार पर निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर दी गई । उस समय उनकी पदोन्नति नियमित आधार पर बनती थी क्योंकि उनकी पेनल्टी दिनांक 30.09.1995 को समाप्त हो चुकी थी । दिनांक 01.10.1995 से वह पदोन्नति हेतु योग्य उम्मीदवार थे क्योंकि यह प्वाइंट दिसम्बर, 1995 तक वैध था । प्रशासन द्वारा समय से पहले ही दिनांक 30.09.1995 को एक दिन पहले ही उक्त पद को भर दिया गया । उपरोक्त के संबंध में उन्होंने कई बार कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई । बाद में निगम ने पत्र सं. 13ए. 20/11/123/94–प्रशा. दिनांक 18.04.2011 द्वारा सूचित किया कि वे तदर्थ नि.श्रे.लि. दिनांक 30.09.1995 को नि.श्रे.लि. के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु आयोजित की गई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पेनल्टी अवधि में होने के कारण नियमित पदोन्नति के उपयुक्त नहीं थे । बाद में पी.एच.कोटे का प्वाइंट लगातार तीन वर्ष तक भरा न जाने के कारण लैप्स हो गया । शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें दिनांक 20.10.1995 से निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित पदोन्नति दी जाए क्योंकि उक्त तिथि को वह निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु योग्य उम्मीदवार थे । उनका कहना है कि उनके विकलांगता प्रमाणपत्र की मूल प्रति कई बार आवेदन करने पर भी निगम द्वारा उन्हें अभी तक वापिस नहीं की गई है ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 02.01.2014 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 02.01.2015 और 27.05.2015 को स्मरण–पत्र भी जारी किए गए ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र संख्या ए–12/18/पीडब्ल्यूडी/2011–आरक्षण दिनांक 18.06.2015 द्वारा अन्यों के साथ सूचित किया कि क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद में निम्न

....3/–

श्रेणी लिपिक के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 16.05.1996 को हुई बैठक में वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले पदों की संख्या मात्र एक थी, जोकि दिनांक 31.12.1995 तक के अशक्त रोस्टर के अनुसार प्वाइंट संख्या 3 दृष्टिबाधित के लिए आरक्षित थी । उसके लिए वरिष्ठतम विकलांग कर्मचारी श्री रघुबीर शर्मा के नाम पर विचार करने के लिए प्रकरण सतर्कता शाखा को भेजा गया । सतर्कता शाखा ने अपने पत्र दिनांक 14.05.1996 द्वारा अवगत कराया कि श्री रघुबीर शर्मा को कार्यालय आदेश दिनांक 24.07.1993 के तहत पेनल्टी (stoppage of two next increments without cumulative effect) जारी की गई है तथा उनका नाम दिनांक 31.12.1994 की स्थिति अनुसार doubtful integrity सूची में सम्मिलित है, अतः सतर्कता अनापत्ति नहीं दी जा सकती । उक्त वर्णित अशक्त रोस्टर प्वाइंट सं. 3 वीएच 1992 से संबंधित था तथा दिनांक 31.12.1995 तक योग्य विकलांग कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण उक्त प्वाइंट वर्ष 1996 में लेप्स हो गया तथा दिनांक 19.07.1996 की आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ने नियमानुसार उक्त प्वाइंट अनारक्षित वर्ग से भरने की सिफारिश की । उसके उपरान्त निम्न श्रेणी लिपिक के पीडब्ल्यूडी रोस्टर रजिस्टर में अगला प्वाइंट दिनांक 14.12.2011 को मिला, परन्तु श्री रघुबीर शर्मा इसके पूर्व ही दिनांक 25.10.2011 को निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर सामान्य श्रेणी से पदोन्नति पा चुके थे । भर्ती वर्ष 1996 से 2011 तक पीडब्ल्यूडी रोस्टर रजिस्टर के अनुसार प्वाइंट रिक्त नहीं था, जिसके विरूद्ध श्री रघुबीर शर्मा को पदोन्नति प्रदान की जा सके ।

5. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक रहित द्वारा प्रतिवादी के टिप्पण पर अपने रिज्वाइंडर में निवेदन किया है कि क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.05.1996 से पूर्व दिनांक 30.09.1995 को आयोजित की गई थी और क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद के कार्यालय आदेश दिनांक 24.07.1993 द्वारा उन्हें जारी की गई पेनल्टी भी दिनांक 30.09.1995 को समाप्त हुई थी । यदि यह बैठक दिनांक 01.10.1995 से 31.12.1995 के बीच की गई होती तो वह निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु योग्य उम्मीदवार होता, परन्तु निगम द्वारा जानबूझकर यह पद एक दिन पहले ही दिनांक 30.09.1995 को अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार द्वारा भर दिया गया । उस समय विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता था । इस प्रकार उक्त बैठक एक दिन बाद अर्थात् दिनांक 30.09.1995 के बाद भी आयोजित की जा सकती थी । क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद के पत्र सं. 13ए/33/16/2/93–प्रशा. वाल्यूम ।।। दिनांक 21.01.1999 द्वारा उन्हें सूचित किया

....4/–

किया गया था कि निम्न श्रेणी लिपिक पद पर नियमित पदोन्नति हेतु 10 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत 01.10.1995 से 31.12.1995 तक शारीरिक विकलांग कोटे का कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं था परन्तु इससे पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद के पत्र दिनांक 11.0.1999 द्वारा उन्हें सूचित किया गया था कि 31.12.1995 तक उक्त रिक्त पद उपलब्ध था । ये दोनों पत्र विरोधाभासी और गुमराह करने वाले हैं ।

6. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 18.06.2015 और शिकायतकर्ता के रिज्वाइंडर दिनांक रहित को मध्यनज़र रखते हुए मामले में सुनवाई दिनांक 21.07.2016 को निर्धारित की गई ।

7. दिनांक 21.07.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद के वर्ष 1995 के कार्यालय आदेश दिनांक 20.10.1995 द्वारा उन्हें तदर्थ आधार पर निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी । दिनांक 20.10.1995 को तदर्थ आधार पर पदोन्नति मिलने से यह सिद्ध होता है कि उस समय वे नियमित आधार पर भी पदोन्नति पाने का हकदार थे क्योकि उस समय दिनांक 01.10.1995 से 31.12.1995 तक विकलांग कोटे से निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु एक पद रिक्त था लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई । उन्हें सील्ड कवर में प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी । यदि अनुसूचित जाति प्वाइंट था तो उन्हें बताया जाना चाहिए था।

8. प्रतिवादी ने निवेदन किया कि विभाग द्वारा 1995 में जब विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हुई थी, उस दौरान यह बिन्दु अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था । उसके विरूद्ध विभाग ने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को प्रोन्नत किया था । चूंकि श्री रघुबीर सिंह सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी थे, इसलिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया । अगली रिक्ति 29.02.1996 को बनी, जिसके लिए विभागीय प्रोन्नति समिति वर्ष 1996 में आयोजित की गई । परन्तु विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित बिन्दु 31.12.1995 को लैप्स हो गया था, इसलिए श्री रघुवीर शर्मा के नाम पर विकलांगजन श्रेणी के अन्तर्गत विचार नहीं हो सका ।

9. पक्षकारों को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् प्रतिवादी को निदेश दिया गया था कि वे अगली सुनवाई की तारीख को निम्नलिखित दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत करें: – (1) दिनांक 01.01.1996 से प्रोन्नति द्वारा भरी गई सभी रिक्तियों का विवरण संलग्न प्रोफार्मा में दे, (2) आरक्षण रोस्टर समूह ग पद (प्रोन्नति द्वारा)

....5/–

01.01.1996 से तथा संपर्क अधिकारी का प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करते हुए कि आरक्षण रोस्टर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार बनाया है और (3) क्या विकलांगजन अधिनियम, 1995 की धारा 36 के उपबंध और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 16 का रिक्तियों का आपसी अदला–बदली से भरते समय अनुसरण किया गया था । मामले में अगली सुनवाई दिनांक 08.09.2016 को नियत की गई ।

10. दिनांक 08.09.2016 को पक्षकारों को सुनने के पश्चात् एवं प्रतिवादी द्वारा रोस्टर तैयार करने हेतु समय प्रदान करने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई दिनांक 21.10.2016 तक के लिए स्थगित की गई तथा प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि वे मामले की अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2016 को जारी कार्यवाहियों के अभिलेख में मांगे गए दस्तावेज़ इस न्यायालय में प्रस्तुत कर देवें ।

11. दिनांक 21.10.2016 को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने अपने उत्तर दिनांक 20.10.2016 के साथ पुर्न निर्मित आरक्षण रोस्टर की प्रति फाइल की । चूंकि ये दस्तावेज सुनवाई के दौरान फाइल किए गए थे, जिनका शिकायत शाखा द्वारा निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता थी । शिकायत शाखा को निर्देश दिए गएं कि वे मामले का निरीक्षण करें और मामले में अपने टिप्पण प्रस्तुत करते समय यदि कोई कमियां पाई जाती हैं, तो उनका उल्लेख करें । मामले की सुनवाई दिनांक 04.11.2016 तक स्थगित की गई ।

12. दिनांक 04.11.2016 को शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को पुनः दोहराया और निवेदन किया कि उन्हें नियमानुसार प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने के आदेश पारित किए जाएं ।

13. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि न्यायालय के आदेशानुसार आरक्षण रोस्टर को पुनर्निमित करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है । शिकायतकर्ता की प्रोन्नति के संबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा, वह हमें स्वीकार्य है । पुनर्निर्मित आरक्षण रोस्टर के अनुसार शिकायतकर्ता श्री रघुबीर शर्मा की निम्न श्रेणी लिपिक के काडर में प्रोन्नति यदि वे पात्र हैं तो 30.10.2007 को बनती है, उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर प्रोन्नति पात्र पाए जाने पर दिनांक 27.09.2011 को बनती है और सहायक के पद पर पात्र पाए जाने पर प्रोन्नति 27.07.2015 को बनती है । इसके लिए निगम को रिव्यू डी.पी.सी. करनी पड़ेगी ।

....6/'

14. पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तथा कार्यलय अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे शिकायतकर्ता के मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विचार करें और जिस तारीख से वह पात्र है, उस तारीख से प्रोन्नति का लाभ पारिणामिक फायदों सहित इस आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर प्रदान करें । इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना इस न्यायालय को भेजें ।

15. मामले का तदनुसार निपटारा किया जाता है ।

(कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन